संख्या-79/2016/1119/41-2016-244 सा0/2013

प्रेषक,

नवनीत सहगल
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ,दिनांक 28 जून,2016

विषयः- प्रदेश में वायु सेवा संचालित करने हेतु प्राख्यापित वायु सेवा नीति में संशोधन।

महोदय,

उ0प्र0 राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने तथा प्रदेश के सुदूर स्थानों तक सुगम आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इन्ट्रास्टेट वायु सेवा के संचालन हेतु माननीय मंत्रिपरिषद द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में वायु सेवा संचालन प्रारम्भ किये जाने के बिन्दु पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करते हुए इससे सम्बन्धित समस्त कार्यो के लिए उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 को नोडल विभाग बनाया गया है।

2. प्रदेश में वायु सेवा संचालन किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-1301/41-2014-244सा0/13 दिनांक-16.06.2014 द्वारा वायु सेवा नीति प्रख्यापित की गयी है। उक्त नीति के अन्तर्गत प्रदेश में वायु सेवा संचालन में आ रही कठिनाईयों के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-75/3055/41-2014-244 सा0/13 दिनांक-13.12.2014 द्वारा प्रख्यापित वायु सेवा नीति के प्रस्तर-3 के उप प्रस्तर 1 व 2 में निम्नलिखित संशोधन किये गये

(1) अण्डरराईट सीटों की संख्या अधिकतम 30 प्रतिशत अथवा 06 सीटें (जो भी कम हों) को बढ़ाकर अधिकतम 50 प्रतिशत अथवा 09 सीटें (जो भी कम हों) की गई।

(2) प्रति सीट प्रति कि0मी0 रू0 15/- की दर से बढ़ाकर प्रति सीट प्रति कि0मी0 रू0 20/- की दर निर्धारित की गई।

4. प्राख्यापित नीति में उक्तानुसार संशोधन किये जाने के बावजूद सेवाप्रदाताओं द्वारा इन्ट्रास्टेट वायु सेवा संचालित किये जाने के सम्बन्ध में सकारात्मक

http://sansadesh.up.nic.in

रूचि/प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण वर्तमान नीति में पुनः संशोधन किया जाना अपरिहार्य हो गया है।

5. उक्त के क्रम में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0 1301/41-2014-244सा0/13 दिनांक-16.06.2014 द्वारा प्राख्यापित वायु सेवा नीति में निम्नवत् संशोधन किये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उत्तर प्रदेश में इन्ट्रास्टेट वायुसेवा संचालन हेतु 18 से 20 सीटर वायुयान का उपयोग किया जाय।

(2) इन्ट्रास्टेट वायुसेवा संचालन हेतु निविदा प्रक्रिया के माध्यम से वायुसेवा प्रदाता का चयन किया जाय।

(3) इन्ट्रास्टेट वायुसेवा संचालन हेतु निविदादाताओं द्वारा प्रस्तावित निविदा में प्रतिघण्टा परिचालन लागत कोट करना होगा।

(4) चयनित वायुसेवा प्रदाता का भुगतान उसके द्वारा कोट किये हुए परिचालन लागत में से बिक्री किये गए कुल टिकट से प्राप्त राजस्व को घटाते हुये किया जाय।

(5) प्रतिमाह परिचालन लागत अधिकतम रू0 5.00 करोड या निविदादाताओं द्वारा प्रस्तावित निविदा में प्रतिघण्टा परिचालन लागत कोट करनें के आधार पर प्रतिमाह की कुल लागत जो भी कम हो की सीमा तक प्रति वायुयान माना जाय।

(6) इन्ट्रास्टेट वायु सेवा संचालन नीति के अन्र्तगत प्रति विमान प्रति माह अधिकतम् 300 घण्टे अथवा वायुसेवा प्रदाता द्वारा की गई वास्तविक उड़ान के घण्टे जो भी कम हो की सीमा तक पर अनुमन्य होगा ।

(7) वायुसेवा प्रदाता को प्रदेश में इन्ट्रास्टेट वायुयान सेवा संचालन हेतु प्रारम्भ में तीन वर्ष के लिये प्रतिबद्वता देनी होगी।

(8) चयनित वायुसेवा प्रदाता को अनिवार्य रूप से अनुबन्ध निष्पादित करने की तिथि से चार माह के अन्दर इन्ट्रास्टेट वायुयान सेवा का सचांलन प्रारम्भ करना होगा।

(9) चयनित वायुसेवा प्रदाता से प्रारम्भ में एक वर्ष की अवधि हेतु अनुबन्ध निष्पादित किया जायेगा, परन्तु वायुसेवा प्रदाता को संचालन हेतु प्रारम्भ में एक वर्ष की संतोषजनक सेवा देखने के बाद ही आगामी दो वर्षो के लिये उक्त की अनुबन्ध की अवधि बढ़ाई जा सकेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

(10) उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 द्वारा चयनित वायुसेवा प्रदाता को एल0ओ0आई0 निर्गत करने की तिथि से नियमानुसार 60 दिनों के अन्दर अनुबन्ध निष्पादित करना अनिवार्य होगा ।

(11) वायुसेवा हेतु प्रति सीट न्यूनतम् किराया निर्धारित करने हेतु महानिदेशक पर्यटन की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा।

(12) वायुसेवा प्रदाता को प्रतिदिन अनिवार्य रूप से प्रदेश में प्रथम चरण में निम्नलिखित क्षेत्रों हेतु वायुसेवा प्रदान करनी होगी:-

(अ) लखनऊ-वाराणसी-आगरा-वाराणसी-लखनऊ

(ब) लखनऊ-इलाहाबाद-गोरखपुर-लखनऊ

(स) लखनऊ-गोरखपुर-इलाहाबाद- लखनऊ

भवदीय,

(नवनीत सहगल)
प्रमुख सचिव।

संख्या-79/2016/1119(1)/41-2016 तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।

2- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

3- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

4- श्री राजाराम, वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस आशय से प्रेषित कि उक्त को वेबसाइट पर डाउनलोड करना सुनिश्चित करें।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विनय कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in